

उत्तर प्रदेश सरकार
न्याय अनुभाग-8
संख्या:122/सात/न्याय-8-99-अधि0-26/16/95, लखनऊ
दिनांक: 31 अगस्त , 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-3-क और धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल राज्य लोक सेवा अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य
कर्मचारी सेवा नियमावली , 1999

भाग - एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और आरम्भ	1-	(क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली , 1999 कही जायेगी। (ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2-	उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा में समूह "क" "ख" एवं "ग" के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3-	जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो , इस नियमावली में
	(क)	"नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी पद के संबंध में ऐसे प्राधिकारी से है जैसा कि परिशिष्ट में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित है।
	(ख)	"भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।
	(ग)	"आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।
	(घ)	"संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।
	(ङ.)	"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।
	(च)	"राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
	(छ)	" समूह" "क" पद, समूह "ख" पद या समूह "ग" पद का तात्पर्य ऐसे पद से है जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय।
	(ज)	"सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या

इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

- (झ) "अन्य पिछड़े वर्गों" से नागरिकों का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।
- (ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा से है।
- (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जा तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की एक जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

भाग-दो संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4-
- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
 - (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने का आदेश न दिया जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

परन्तु यह और कि राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।
 - (3) लिपिकीय संवर्ग एक पृथक संवर्ग होगा , जिसमें निजी सचिवों, आशुलिपिकों , लेखाकारों एवं सहायक लेखाकारों के पदों को छोड़कर "समूह ग" के समस्त पद समाविष्ट होंगे।
 - (4) निजी सचिवों और आशुलिपिकों का एक पृथक संवर्ग होगा:

परन्तु यह कि ऐसा आशुलिपिक , जो लिपिकीय संवर्ग से नियुक्त हुआ हो और जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय आशुलिपिक के पद पर कार्यरत हो , अपने विकल्प पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति से लिपिकीय संवर्ग में इस शर्त के अधीन प्रतिवर्तित हो सकता है कि लिपिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में उसकी ज्येष्ठता उस स्थान पर निर्धारित होगी जो सामान्यतः उसे प्राप्त होती, यदि वह

आशुलिपिक के पद पर नियुक्त न हुआ होता:

परन्तु यह और कि कोई भी आशुलिपिक, यदि व सीधी भर्ती द्वारा आशुलिपिक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो, लिपिकीय संवर्ग में इस प्रकार प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा।

- (5) लेखाकारों और सहायक लेखाकारों का एक पृथक संवर्ग होगा जिसे लेखा संवर्ग के रूप में जाना जायेगा। किसी भी व्यक्ति का लिपिकीय संवर्ग से लेखा संवर्ग में या लेखा संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जो मौलिक रूप से लिपिकीय संवर्ग में नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय लेखा संवर्ग में कार्यरत हो, अपने विकल्प पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति से लिपिकीय संवर्ग में इस शर्त के अधीन प्रतिवर्तित हो सकता है कि लिपिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में उसकी ज्येष्ठता उस स्थान पर निर्धारित होगी जो सामान्यतया उसे प्राप्त होती, यदि वह लेखा संवर्ग में नियुक्त न हुआ होता।

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति लेखा संवर्ग में मौलिक रूप में सीधी भर्ती द्वारा की गई हो, लिपिकीय संवर्ग में प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा।

- (6) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दो माह के भीतर उप नियम (4) या उप नियम (5) के अधीन कोई विकल्प दिया जा सकता है। एक बार दिया गया विकल्प अप्रतिसंहरणीय होगा।

भाग तीन - भर्ती

- भर्ती का श्रोत 5 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी:-
- (क) निबन्धक - उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुति पर ऐसे व्यक्तियों में से जो उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा के सदस्य हों, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (ख) संयुक्त निबन्धक (न्यायिक) - उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुति पर ऐसे व्यक्तियों में से जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्य हों और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से निम्न स्तर के न हों, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (ग) संयुक्त निबन्धक (प्रशासनिक)- उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के ज्येष्ठ वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कुल आठ वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (घ) कम्प्यूटर प्रोग्रामर - आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (ङ.) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक निबंधक और कार्यालय अधीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

- (च) सहायक निबन्धक और कार्यालय अधीक्षक - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुन्सरिम और वरिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
- (छ) मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पेशकारों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
- (ज) पेशकार-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ लिपिक , नाजिर , अहलमद , अभिलेखपाल , रोकड़िया और केयर टेकर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , पदोन्नति द्वारा।
- (झ) वरिष्ठ लिपिक , नाजिर , अहलमद , अभिलेखपाल , रोकड़िया और केयर टेकर-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ लिपिक , टंकक, प्रतिलिपिक , सहायक रोकड़िया , सहायक अभिलेखपाल और पुस्तकालय सहायक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , पदोन्नति द्वारा।
- (अ) कनिष्ठ लिपिक , टंकक , प्रतिलिपिक , सहायक अभिलेखपाल , पुस्तकालय सहायक , सहायक रोकड़िया-
- (1) अस्सी प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (2) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनट की गति रखते हों, चयन समिति के माध्यम से , पदोन्नति द्वारा।
- (3) पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- (ट) पुस्तकालय अधीक्षक - चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (ठ) निजी सचिव - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जो वेतनमान 5500-9000 रुपये में कार्यरत हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा:
- परन्तु यदि पदोन्नति के लिये पात्र या उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में वेतनमान 5500-9000 रुपये में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , सम्मिलित करके पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।
- परन्तु: यह और कि यदि पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों को , जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम

दिवस को इस रूप में वेतनमान 5500-9000 रुपये से अगले निम्न वेतनमान में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , सम्मिलित करके पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

- (ड) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों के आशुलिपिकों (वेतनमान 5500-9000 रुपये)-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जो वेतनमान 4000-6000 रुपये में कार्य कर रहे हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद को चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

- (ढ) आशुलिपिक - (वेतनमान 4000-6000 रुपये) चयन समिति में माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

- (ण) लेखाकार - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद को चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

- (स) सहायक लेखाकार - चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

- (2) यदि उपनियम (1)के खण्ड (ड.) (च) (छ) (ज) और (झ) में उल्लिखित पद पर पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सरकार , पोषक संवर्ग के पद के लिए विहित परीक्षा अवधि को अपवर्जित करते हुए पोषक संवर्ग में अपेक्षित अर्हकारी सेवाकाल को शिथिल कर सकती है।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-चार-अर्हताएँ

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या

- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रवचन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

परन्तु ये और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह भी कि नागरिकता प्राप्त कर हैं।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:-

- | पद | अर्हताएँ |
|-----|---|
| (क) | <p>कम्प्यूटर प्रोग्रामर</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में बी.ई./टेक./ एम.टेक. की उपाधि प्रथम श्रेणी में या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि अवश्य रखता हो:</p> <p>या</p> <p>भौतिक शास्त्र/गणित/आपरेशन रिसर्च/सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> |
| (ख) | <p>पुस्तकालयाध्यक्ष</p> <p>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था की पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या डिप्लोमा अवश्य रखता हो।</p> <p>(दो) किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्था के पुस्तकालय में दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव।</p> <p>(तीन) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि-स्नातक की उपाधि रखता हो, अधिमान दिया जायेगा।</p> |
| (ग) | <p>कनिष्ठ लिपिक/सहायक अभिलेखपाल/सहायक रोकड़िया/ पुस्तकालय सहायक</p> <p>(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।</p> <p>(दो) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति अवश्य रखता हो।</p> |

- (घ) आशुलिपिक (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य)
(वेतनमान 5500-9000 रुपये)
- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि अवश्य रखता हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।
- (दो) अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अवश्य रखता हो।
- (ड.) आशुलिपिक
(वेतनमान 4000-6000 रुपये)
- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।
- (दो) अंग्रेजी और हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अवश्य रखता हो।
- (च) (लेखाकार)
- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि अवश्य रखता हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि अवश्य रखता हो।
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित डिवीजनल टेस्ट एग्जामिनेशन (डी.टी.ई.) अवश्य उत्तीर्ण हो।
- (दो) ऐसे व्यक्ति को जो किसी सरकारी विभाग में सहायक लेखाकार या लेखाकार के रूप में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव रखता हो, अधिमान दिया जायेगा।
- (छ) सहायक लेखाकार
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म विषय के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि अवश्य रखता हो।

अधिमाननी
अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने:-
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञप्ति की जायें नीचे दी गई सारिणी में विनिर्दिष्ट पद के विरुद्ध न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

क्रम	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
------	-----------	-------------	------------

1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	21 वर्ष	32 वर्ष
2	पुस्तकालयाध्यक्ष	21 वर्ष	32 वर्ष
3	कनिष्ठ लिपिक/टंकक/प्रतिलिपिक/ सहायकअभिलेखपाल/सहायक रोकड़िया/पुस्तकालय सहायक	18 वर्ष	32 वर्ष
4	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के आशुलिपिक (वेतनमान 5500-9000 रूपये)	21 वर्ष	32 वर्ष
5	आशुलिपिक (वेतनमान 4000-6000 रूपये)	18 वर्ष	32 वर्ष
6	लेखाकार	21 वर्ष	32 वर्ष
7	सहायक लेखाकार	21 वर्ष	32 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी - (1) संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमान के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे:

वैवाहिक
प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी:

(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में, वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करे।

(ख) सेवा में अन्य पदों की दशा में वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के

अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

- | | | |
|--|-----|---|
| रिक्तियों का अवधारण | 14. | (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ उनको सूचित की जायेंगी। |
| आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया | 15. | (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे।
(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने आवश्यकता को ध्यान में रखाते हुए अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।
(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणताक्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो. एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें. तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग सूची को नियुक्ति-प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। |
| चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया | 16. | चयन समिति के माध्यम से सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के उपबन्धों के अनुसार की जावेगी। |
| पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया | 17. | (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।
टिप्पणी : चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्त पिछड़े वर्गों के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और |

उसे उनकी चरित्र-पंजियो और उनसे संबंधित ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

- (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
- (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 18 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से लेकर इस रीति से रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ: नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्तियां 19. (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में, जैसा कि यथा स्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परीक्षा 20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान या अन्त में किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

			(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
स्थायीकरण	21.		(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि - (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। (2) उत्तर प्रदेश राज्य को सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्ध सेवा में नियुक्ति किसी व्यक्ति पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। (3) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
ज्येष्ठता	22.		सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक की ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।
वेतनमान	23.	भाग-सात-वेतन इत्यादि	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।
परिवीक्षा में वेतन	24.	अवधि	(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान वेतनमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और, जहाँ विहित हो. प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: (2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। (3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में

- वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
- दक्षतारोक पार 25. किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।
- पक्ष समर्थन 26. **भाग - आठ अन्य उपबन्ध**
किसी पद पर सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों में 27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेश विनिमयन के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों में 28. जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी. आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।
- व्यावृत्ति 29. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से.
प्रमुख सचिव ।

परिशिष्ट
नियम 3(क), 4(2), 23(2) देखें।

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी अस्थाई योग			वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	निबंधक	—	1	1	उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य साधारण वेतनमान	राज्यपाल
2	संयुक्त निबंधक (न्यायिक)	—	1	1	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अनुमन्य वेतनमान	राज्यपाल
3	संयुक्त निबंधक (प्रशासनिक)	—	1	1	उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को अनुमन्य वेतन	राज्यपाल
निजी सचिव एवं आशुलिपिक संवर्ग						
4	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	—	1	1	रू 8000—275—13500 रुपये	राज्यपाल
5	निजी सचिव	—	12	12	6500—200—10500 रुपये	अध्यक्ष
6	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के आशुलिपिक	10	—	10	5000—175—9000 रुपये	अध्यक्ष
7	आशुलिपिक	—	7	7	4000—100—9000 रुपये	अध्यक्ष
लिपिकीय संवर्ग						
8	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	1	1	6500—200—10500 रुपये	अध्यक्ष
9	सहायक निबंधक	—	1	1	5000—150—8000 रुपये	अध्यक्ष
10	कार्यालय अधीक्षक	—	6	6	5000—150—8000 रुपये	अध्यक्ष
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	—	1	1	5000—150—8000 रुपये	अध्यक्ष
12	मुन्सरिम	3	—	3	4500—125—7000 रुपये	अध्यक्ष
13	वरिष्ठ सहायक	1	—	1	-तदैव-	अध्यक्ष
14	पेशकार	5	5	10	4500—125—7000 रुपये	अध्यक्ष
15	रोकड़िया	1	—	1	4000—100—6000 रुपये	अध्यक्ष
16	वरिष्ठ लिपिक	5	12	17	-तदैव-	अध्यक्ष
17	अहलमद	6	—	6	-तदैव-	अध्यक्ष
18	नाजिर	—	2	2	-तदैव-	अध्यक्ष
19	अभिलेखपाल	—	1	1	-तदैव-	अध्यक्ष
20	केयर टेकर	—	1	1	-तदैव-	अध्यक्ष
21	टंकक	1	—	1	3050—75—3950—80—4590	अध्यक्ष
22	प्रतिलिपि	5	—	5	-तदैव-	अध्यक्ष
23	कनिष्ठ लिपिक	1	20	21	-तदैव-	अध्यक्ष
24	सहायक रोकड़िया	1	—	1	-तदैव-	अध्यक्ष

25	सहायक अभिलेखपाल	—	2	2	-तदैव-	अध्यक्ष
26	पुस्तकालय सहायक	—	1	1	-तदैव-	अध्यक्ष
लेखा संवर्ग						
27	लेखाकार	—	1	1	5000—150—8000 रूपये	अध्यक्ष
28	सहायक लेखाकार	2	—	2	4500—125—7000 रूपये	अध्यक्ष